उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0-06.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण1.धर्म राजपूत उर्फ धर्मा पुत्र स्व0 श्रीराम निवासी श्याम नगर(भोपत पट्टी) थाना को0 फर्रुखाबाद 2. राजू उर्फ दादा पुत्र स्व0 शियाराम पहलवान निवासी तलैया फजल इमाम थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु0अ0स0- 515/2022 वाद संख्या 325/2026 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 06.07.2026 को दोषसिद्ध कर धर्म राजपूत उर्फ धर्मा को 02 वर्ष 11 माह व राजू उर्फ दादा को 03 वर्ष 06 माह साधारण कारावास की सजा व प्रत्येक को 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार

को0 मो0 -है0 का0 राजेन्द्र सिंह

पैरोकार - का0 गुलाम गौस